

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 34/2021 - निगरानी

- |  |      |   |
|--|------|---|
| 1. राधेश्याम पिता गोपी जाट निवासी नई ईरास, तहसील एवं जिला भीलवाडा    | बनाम | 1. श्री डालचंद पिता प्यारचंद कोठारी (मृतक के बजाय)  |
| 2. हीरालाल पिता मथुरा ओड, निवासी नई ईरास तहसील एवं जिला भीलवाडा      |      | 1/1 चन्द्रसिंह कोठारी पिता स्व. डालचंद कोठारी निवासी बाजार नं 02 पुलिस कन्ट्रोल रूम के पीछे, तीन फ्लोर की जायदाद, भीलवाडा |
| 3. रामलाल पिता गोपी जाट निवासी नई ईरास, तहसील एवं जिला भीलवाडा       |      | 2. मनीष शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी आर0 के0 कॉलोनी भीलवाडा   |
| 4. नारायण पिता बालचंद सुवालका, निवासी नई ईरास तहसील एवं जिला भीलवाडा |      | 3. ग्राम पंचायत सुवाणा, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाडा   |

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत सुवाणा के मिसल संख्या 29 संवत् 2030 पट्टा संख्या 32 को निरस्त कराए जाने बाबत।



उपस्थित -

1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता - निगराकारगण की ओर से
2. श्री जगदीशचन्द्र विजयवर्गीय अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 1/1 व 02 ओर से

## निर्णय

दिनांक 06.06.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार 3 ने गैर निगराकार 1 को ग्राम नई ईरास, पंचायत समिति सुवाणा में बिलानाम भूमि पर अवैध रूप से पट्टा संख्या 32 दिनांक 28.10.1973 जारी किया गया। आराजी संख्या 3484 जो संवत् 2036 से 2039 की जमाबंदी में बिलानाम गैरकाबिल काश्त थी तथा दिनांक 21.12.1982 को आराजी संख्या 3484 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी तथा इस आराजी से ग्राम पंचायत सुवाणा का दिनांक 21.12.1982 तक कोई लेना देना नहीं था। आराजी संख्या 3484 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि दिनांक 10.07.1973 को ग्राम पंचायत के मद में दर्ज नहीं थी, न ही आराजी संख्या 3484 दिनांक 10.07.1973 को आबादी में दर्ज थी, बिलानाम सरकारी भूमि का